न्यायालय जिला कलक्टर, भरतपुर

अपील/आरटीआई/69/2022

राजेश कुमार पुत्र जगदीश 163, प्रेम गार्डन सामने सेक्टर–03 भरतपुर

.....अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग, कलक्ट्रेट,भरतपुर

.....रेस्पो0

अपील अन्तर्गत सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

———

आदेश **दिनांक 11.10.2022**

अपीलार्थी राजेश कुमार पुत्र जगदीश 163, प्रेम गार्डन सामने सेक्टर–03 भरतपुर की यह अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग, कलक्ट्रेट, भरतपुर के खिलाफ प्राप्त हुई है। प्रार्थी/अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत जरिये प्रार्थना पत्र दिनांक 8.6.2022 से लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग, कलक्ट्रेट, भरतपुर से सूचना चाही गई थी। लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग, कलक्ट्रेट,भरतपुर द्वारा प्रार्थी/अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने के कारण यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर कर इस कार्यालय के पत्र कमांक/कोर्ट/22/663 दिनांक 30.08.2022 के द्वारा लोक सूचना प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग, कलक्ट्रेट,भरतपुर से अपीलार्थी को सूचना उपलब्ध नहीं कराये जाने बाबत रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी से जबाब प्राप्त नहीं हुआ है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया प्रार्थना पत्र एवं अपील का अवलोकन किया। अपीलार्थी के आर.टी.आई. के तहत प्रार्थना पत्र जिसमें प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग, कलक्ट्रेट,भरतपुर सूचना चाही गई है का अवलोकन किया गया। लोक सूचना अधिकारी से कोई जबाब प्राप्त नहीं हुआ है। अस्तु अपील स्वीकार की जाती है। लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी सामान्य अनुभाग को निर्देशित किया जाता है कि वे राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8, 9 एवं 11 के तहत बाध्यकारी प्रावधानों को मध्यनजर रखते हुये चाही गई सूचना निःशुल्क

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

उपलब्ध कराई जावे। अपीलार्थी ने अपील के साथ शुल्क के 10/– रुपये का पोस्टल आर्डर सलग्न कर भेजा है, अपील मे कोई शुल्क देय नहीं होने से प्राप्त पोस्टल आर्डर तादाती 10/–रुपये वापिस लोटाया जावे। निर्णय की प्रति अपीलार्थी को (पोस्टल आर्डर सलंग्न कर) एवं लोक सूचना अधिकारी प्रभारी अधिकारी, सामान्य अनुभाग कलेक्ट्रेट को पालनार्थ प्रेषित की जावे। इस आदेश से सन्तुष्ट न होने पर अपील राजस्थान सूचना आयोग,जवाहर लाल नेहरु मार्ग जयपुर में की जा सकती है।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर